

29 मई, 2023

प्रेस विज्ञप्ति

प्रारूप C7 का विश्लेषण – राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए
दिए गए कारणों का प्रकाशन

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

टी-95, सी.एल. हाऊस, द्वितीय तल,
नज़दीक गुलमोहर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049,
फोन नं.: 011-4165 4200, फैक्स नं.: 4609 4248
ईमेल: adr@adrindia.org

प्रस्तावना

13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन करने के कारणों को सूचीबद्ध करें। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों के प्रकाशन पर 25 सितंबर, 2018 के अपने पहले के आदेश को लागू न करने के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका के आलोक में आया था, जिसे स्पष्ट रूप से बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के विवरण को व्यापक रूप से प्रकाशित करने में विफल रहने के लिए फटाकर लगाई थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में विशेष रूप से राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे कारण बताएं की साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। इन अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए। अफसोस की बात है कि उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक दलों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने फिर से 'धनबली और बाहुबली' के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी प्रथा का पालन किया है। 15 जुलाई, 2021 और 20 जुलाई, 2021 को, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से 13 फरवरी, 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के खिलाफ राजनीतिक दलों द्वारा अवमानना पर विचार किया। राजनीतिक दलों द्वारा गंभीर चूक को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि न तो विधायिका और न ही राजनीतिक दल कभी भी आपराधिक मामलों में आरोपित उम्मीदवारों के प्रवेश को रोकने के लिए कदम उठाने के इच्छुक होंगे।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने की इस ज़बरदस्त प्रथा को रोकने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में चार आदेश दिए हैं; **10 मार्च, 2014 (एक वर्ष के भीतर परीक्षण)**; **1 नवंबर, 2017 (विशेष 11 फास्ट-ट्रैक कोर्ट)**; **25 सितंबर, 2018 (आपराधिक मामलों का प्रकाशन)**; **13 फरवरी, 2020 (आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण)**। दुर्भाग्य से, इनमें से कोई भी आदेश पार्टियों को साफ, विश्वसनीय और ईमानदार उम्मीदवारों को प्रवेश देने के बजाय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं रोक पाया है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग के निर्देशों (दिनांक 6 मार्च, 2020 और 10 अक्टूबर, 2018 के पत्रों में) में दिनांक 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों का प्रकाशन और रिकॉर्डिंग सहित चयन करने का कारण बताना होगा।

13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 6 मार्च, 2020:

1. केन्द्र और राज्य के चुनाव स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों सहित अपराधों की प्रकृति, सम्बन्धित विवरण जैसे क्या आरोप तय किए गए हैं, सम्बन्धित न्यायालय, मामला संख्या आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
2. राजनीतिक दलों को भी ऐसे चयन का कारण देना होगा और आपराधिक छवि के बिना अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है।
3. चयन सम्बन्धित कारण उम्मीदवारों की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होंगे, ना कि केवल चुनाव में जीतने की क्षमता।
4. यह जानकारी भी इसमें प्रकाशित की जाएगी: (a) एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र; (b) फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर।
5. ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले प्रकाशित किए जाएंगे, जो भी पहले हो। अभियान के दौरान मतदाताओं की आवधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग ने अब नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होने वाली अवधि और मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान आपराधिक इतिहास के प्रचार के लिए निम्नलिखित समयरेखा निर्धारित की है,
 - नामांकन वापस लेने के 4 दिनों के भीतर।
 - अगले 5वें – 8वें दिनों के बीच।
 - 9वें दिन से अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से दो दिन पहले)
6. सम्बन्धित राजनीतिक दल उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग के साथ इन निर्देशों के अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
7. यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस से सम्बन्धित राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को अदालत के आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में लाएगा।

25 सितंबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2018:

उम्मीदवारों के लिए:

1. चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म को भरना होगा और इस फॉर्म में आवश्यक रूप से सभी विवरण शामिल होने चाहिए।
2. यह उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में, मोटे अक्षरों में बताएगा।
3. यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।

राजनीतिक दलों के लिए:

1. सम्बन्धित राजनीतिक दल को अपनी वेबसाइट पर आपराधिक छवि रखने वाले उम्मीदवारों से सम्बन्धित उपरोक्त जानकारी देने के लिए बाध्य किया जाएगा।

राजनीतिक दल और उम्मीदवार दोनों के लिए:

1. राजनीतिक दल और उम्मीदवार दोनों के लिए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र वापस लेने की अंतिम तारीख और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक तीन अलग-अलग तिथियों पर घोषणा पत्र प्रकाशित करना अनिवार्य है। इस मामले को कम से कम 12 के अक्षर आकार में प्रकाशित किया जाना चाहिए और समाचार पत्रों में उपयुक्त रूप से रखा जाना चाहिए। टीवी चैनलों में घोषणा के मामले में, मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के समाप्त होने से 48 घंटे पहले पूरा किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की घोषणा के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया एक प्रारूप है।
2. उम्मीदवार/राजनीतिक दलों द्वारा निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में, रिटर्निंग अधिकारी उन्हें एक लिखित अनुस्मारक देंगे और चुनाव के अंत तक अनुपालन न करने की स्थिति में, रिटर्निंग अधिकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे जो भारत के निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा। भारत निर्वाचन आयोग मामले में अंतिम निर्णय लेगा। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इस तरह के अनुस्मारक के मानक प्रारूप को भी पत्र में संलग्न किया गया है।
3. सभी राजनीतिक दल; मान्यता प्राप्त दल और गैर-मान्यता प्राप्त दल यह कहते हुए सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने निर्देशों से युक्त पेपर कटिंग के साथ निर्देशों और संलग्न की आवश्यकताओं को पूरा किया है। यह चुनाव पूरा होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके बाद, अगले 15 दिनों के भीतर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें अनुपालन की पुष्टि की जाए और बकायेदारों के मामलों को इंगित किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रारूप/फॉर्म:

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फॉर्म C7 और C8 को राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा उचित नाम और पदनाम के साथ विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। फॉर्म C8 पर संबंधित राजनीतिक दल की मुहर भी लगेगी।

प्रारूप/फॉर्म	द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	मंच
C1	Candidates	To publish information regarding criminal background in Newspapers and TV
C2	Political Parties	To publish information regarding criminal background in Newspapers, TV and Political party's website
C7	Political Parties	To publish information regarding criminal background along with reasons in Newspapers, social media platforms, website of political parties
C8	Political Parties to the Election Commission of India	Compliance Report with respect to the SC judgment dated 13th Feb, 2020

रिपोर्ट के मुख्य अंश

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कर्नाटक इलेक्शन वॉच ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ने वाले 8 राजनीतिक दलों के 1001 में से 345 उम्मीदवारों के प्रारूप C7 का विश्लेषण किया है। इन **345 (34 प्रतिशत)** उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।

यह डेटा राजनीतिक दलों की वेबसाइटों के साथ-साथ सोशल मीडिया से संकलित किया गया है जो उपरोक्त राज्य विधानसभा चुनावों की अवधि से पहले और उसके दौरान काम कर रहे थे। अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित किया। हो सकता है पार्टियों ने डेटा प्रकाशित किया हो और हो सकता है कि हमारे रिकॉर्ड में न आए हों।

राज्य	चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवार	विश्लेषित किए गए राजनीतिक दलों की संख्या	राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार	आपराधिक मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों की संख्या	प्रकाशित प्रारूप C7 वाले आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का संख्या
Karnataka	2615	8	1001	345	287

8

विश्लेषण किए गए राजनीतिक दलों की संख्या

287

प्रारूप सी7 में आपराधिक मामले प्रकाशित करने वाले उम्मीदवार की संख्या (83 प्रतिशत)

58

प्रारूप सी7 में आपराधिक मामले प्रकाशित नहीं करने वाले उम्मीदवार की संख्या (17 प्रतिशत)

राजनीतिक दलों का विश्लेषण:

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में, चुनाव लड़ने वाले सभी राष्ट्रीय, राज्य और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से, इस रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित 8 राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया गया है।

1. Bhartiya Janata Party
2. Indian National Congress
3. Bahujan Samaj Party
4. Aam Aadmi Party
5. Janata Dal (Secular)
6. All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen
7. Communist Party of India (Marxist)
8. Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation

आपराधिक पृष्ठभूमि

- ☞ उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले:— विश्लेषण किए गए **1001** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से **345 (34 प्रतिशत)** राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
- ☞ उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामले:— विश्लेषण किए गए **1001** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से **220 (22 प्रतिशत)** राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
- ☞ **3** उम्मीदवारों के लिए प्रारूप C7 प्रकाशित किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है यह राजनीतिक दलों की ओर से लापरवाही और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

क्र०सं०	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है, इसके कारण
1	Subhash Guttedar	ALAND	BJP	0	0	Sri Subhash Guttedar is a highly dedicated individual who has tirelessly devoted their time and efforts to social service in the constituency for many years. They have a deep understanding of the needs and challenges of the people and have worked tirelessly to improve the quality of life for all members of the community. They have built strong relationships with the voters, establishing a genuine and positive rapport with them, and have earned their trust and respect. Their unwavering commitment to the	The Bharatiya Janata Party is dedicated to selecting the most qualified candidate who can best represent the hopes and desires of the people of the constituency. After extensive consideration and evaluation of all potential candidates, Sri Subhash Guttedar was selected as the most suitable choice. The party firmly believes that he has the necessary skills, experience, and dedication to best serve the people of the constituency and represent the values of the BJP. We are confident that he has the ability

क्र०सं०	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है, इसके कारण
						betterment of the community is reflected in their track record of achievements and the numerous positive changes they have brought about. We are confident that they are the best choice to represent the constituency and will continue to serve the people with passion, dedication, and integrity.	to bring about positive change and progress for the constituency and will work tirelessly to meet the needs of the people. Therefore, we stand by our decision to field him, who we believe is the best choice to represent the BJP and the people of the constituency.
2	Lokesh. V. Nayaka	KUDLIGI (ST)	BJP	0	0	Shri Lokesh V. Nayaka is a highly dedicated individual who has tirelessly devoted their time and efforts to social service in the constituency for many years. They have a deep understanding of the needs and challenges of the people and have worked tirelessly to improve the quality of life for all members of the community. They have built strong relationships with the voters, establishing a genuine and positive rapport with them, and have earned their trust and respect. Their unwavering commitment to the betterment of the community is reflected in their track record of achievements and the numerous positive changes they have brought about. We are confident that they are the best choice to represent the constituency and will continue to serve the people with passion, dedication, and integrity.	The Bharatiya Janata Party is dedicated to selecting the most qualified candidate who can best represent the hopes and desires of the people of the constituency. After extensive consideration and evaluation of all potential candidates, the current candidate was selected as the most suitable choice. The party firmly believes that this candidate has the necessary skills, experience, and dedication to best serve the people of the constituency and represent the values of the BJP. We are confident that this candidate has the ability to bring about positive change and progress for the constituency and will work tirelessly to meet the needs of the people. Therefore, we stand by our decision to field this candidate, who we believe is the best choice to represent the BJP and the people of the constituency.

क्र०सं०	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है, इसके कारण
3	Dinakar Keshav Shetty	KUMTA	BJP	0	0	Shri Dinakar Keshav Shetty is a highly dedicated individual who has tirelessly devoted their time and efforts to social service in the constituency for many years. They have a deep understanding of the needs and challenges of the people and have worked tirelessly to improve the quality of life for all members of the community. They have built strong relationships with the voters, establishing a genuine and positive rapport with them, and have earned their trust and respect. Their unwavering commitment to the betterment of the community is reflected in their track record of achievements and the numerous positive changes they have brought about. We are confident that they are the best choice to represent the constituency and will continue to serve the people with passion, dedication, and integrity.	The Bharatiya Janata Party is dedicated to selecting the most qualified candidate who can best represent the hopes and desires of the people of the constituency. After extensive consideration and evaluation of all potential candidates, the current candidate was selected as the most suitable choice. The party firmly believes that this candidate has the necessary skills, experience, and dedication to best serve the people of the constituency and represent the values of the BJP. We are confident that this candidate has the ability to bring about positive change and progress for the constituency and will work tirelessly to meet the needs of the people. Therefore, we stand by our decision to field this candidate, who we believe is the best choice to represent the BJP and the people of the constituency.

☞ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए कारण बताए गए हैं :-

- आपराधिक मामलों वाले 345 में से 287 (83 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए कारण प्रस्तुत किए गए हैं
- गंभीर आपराधिक मामलों वाले 220 में से 191 (87 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए कारण प्रस्तुत किए गए हैं
- आपराधिक मामलों वाले 58 (17 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए, राजनीतिक दलों द्वारा उनके चयन का कोई कारण नहीं बताया गया है

☞ कुल आपराधिक मामलों के साथ अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों के लिए दिए गए कारण:-

क्र०सं०	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है, इसके कारण
1	Manikanta Rathod	CHITTAPUR (SC)	BJP	43	15	Sri. Manikanta Rathod is a highly dedicated individual who has tirelessly devoted their time and efforts to social service in the constituency for many years. They have a deep understanding of the needs and challenges of the people and have worked tirelessly to improve the quality of life for all members of the community. They have built strong relationships with the voters, establishing a genuine and positive rapport with them, and have earned their trust and respect. Their unwavering commitment to the betterment of the community is reflected in their track record of achievements and the numerous positive changes they have brought	The Bharatiya Janata Party is dedicated to selecting the most qualified candidate who can best represent the hopes and desires of the people of the constituency. After extensive consideration and evaluation of all potential candidates, the Sri. Manikanta Rathod was selected as the most suitable choice. The party firmly believes that he has the necessary skills, experience, and dedication to best serve the people of the constituency and represent the values of the BJP. We are confident that he has the ability to bring about positive change and progress for the constituency and will work

क्र०सं०	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है, इसके कारण
						about. We are confident that they are the best choice to represent the constituency and will continue to serve the people with passion, dedication, and integrity.	tirelessly to meet the needs of the people. Therefore, we stand by our decision to field him, who we believe is the best choice to represent the BJP and the people of the constituency.
2	B Nagendra	BELLARY (ST)	INC	42	105	He is young leader who has been elected independently because people have reposed faith in him. He has a good vision for youth, women and labours.	He has fought many cases for labourers. He is interested in welfare of his constituency people. He has completed many projects in Bellary. Most of the cases against him are politically Motivated.
3	Y S V Datta	KADUR	JD(S)	40	0	Y S V Datta is a qualified person & a very competent leader. And he is well known leader in the state & he has deep attachment with the people in his constituency	Y S V Datta has good vision for youths, women and children. The party has given ticket to contest the election due to the demand of constituency people

तालिका: कुल आपराधिक मामलों के साथ अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों के लिए दिए गए कारण

☞ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आमतौर पर बताए गए शीर्ष कारण:—

आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है, इसके कारण
He is well known publicly accepted leader and has been in responsible position attached to social service	Best Candidate chosen on demand from people
highly dedicated individual who has tirelessly devoted their time and efforts to social service in the constituency	No such prospect found to replace him.
Social worker, most approachable and down to earth person	Always fought for people's right and weaker sections of the society
He is a leader of people's movements, who enjoys the trust and affection of common masses and the workers.	No Other Candidate with similar ground Support
In comparison to the other candidates and their history, it was found to be suitable being the candidates has stated that false FIR has been lodged against him	The Offences are not grave one seems to be based on false allegation. His image supported by the local office bearers of the party as clean as good.

तालिका: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आमतौर पर बताए गए शीर्ष कारण

☞ *आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को प्रकाशित नहीं करने वाले राजनीतिक दल:—

राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	प्रारूप C7 के बिना उम्मीदवारों की संख्या	प्रारूप C7 के बिना उम्मीदवारों का प्रतिशत
INC	123	14	11%
BJP	96	35	36%

राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	प्रारूप C7 के बिना उम्मीदवारों की संख्या	प्रारूप C7 के बिना उम्मीदवारों का प्रतिशत
JD(S)	71	5	7%
AAP	48	3	6%
BSP	2	0	0%
AIMIM	2	0	0%
CPI(ML)(L)	2	0	0%
CPI(M)	1	1	100%

तालिका: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए प्रारूप C7 प्रकाशित नहीं करने वाले राजनीतिक दल

*इस रिपोर्ट को बनाते समय, कुछ राजनीतिक दलों के प्रारूप C7 डेटा वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं थे। हालाँकि, हो सकता है कि इसे पहले पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हो और बाद में हटा दिए गए हो।

☞ अधिकतम आपराधिक मामलों वाले शीर्ष 3 उम्मीदवार जिनके चयन के कारण प्रकाशित नहीं हुए हैं:—

क्र०सं०	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या
1	Munirathna	RAJARAJESHWARINAGAR	BJP	8
2	Prabhavati Basavaraj Mastmardi	BELGAUM DAKSHIN	INC	7
3	C Venkatachalapathi	K.R. PURA	JD(S)	7

तालिका: अधिकतम आपराधिक मामलों वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों जिनके चयन के कारण प्रकाशित नहीं हुए हैं

☞ कुछ उम्मीदवारों के प्रारूप C7 में अन्य विसंगतियां :-

दल का नाम	टिप्पणियां
BJP	Around 70% the candidates with cases against them have given the same word to word reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere “winnability” at the polls Refer Party Website Link Given Here : https://karnataka.bjp.org/bjp-karnataka-2023-criminal-antecedent-declarations-form-c-7/
AAP	The Form C7 was uploaded on their party website but there is no signature of the office bearer and around 90 % the candidates with cases against them have given the same word to word reason in the both sections for selection of candidate with criminal background and reason as to why other individual without criminal antecedents could not be selected as candidates Refer Party Website Link Given Here : https://aamaadmiparty.org/karnataka-assembly-elections-2023-format-c7-c2/
BSP	100 % the candidates with cases against them have given the same word to word reason in the both sections for selection of candidate with criminal background and reason as to why other individual without criminal antecedents could not be selected as candidates Refer Party Website Link Given Here : https://bahujansamajparty.net/?page_id=3042

वित्तीय पृष्ठभूमि

☞ करोड़पति उम्मीदवार: 345 में से 303 (88 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं।

☞ अधिकतम संपत्ति: नीचे की तालिका में अधिकतम कुल संपत्ति वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों का विवरण उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ दिया गया है।

क्र०सं०	उम्मीदवार	निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की कुल संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	कुल संपत्ति (₹)
1	N Nagaraju	Hosakote	BJP	1	1	16,09,56,44,113 1609 Crore+
2	D K Shivakumar	Kanakapura	INC	19	6	14,13,80,02,404 1413 Crore+
3	Priyakrishna	Govindarajanagar	INC	1	0	11,56,83,93,089 1156 Crore+

तालिका-आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शीर्ष 3 उम्मीदवार जिनकी संपत्ति सबसे अधिक है

एडीआर द्वारा अवलोकन

I. सामान्य

हमारे राजनीतिक दलों के कामकाज को केवल भारत के चुनाव आयोग और कानून व्यवस्था जैसी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किए गए कड़े उपायों को अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। केवल राजनीतिक दलों को जारी की गई चेतावनियों से कुछ हासिल नहीं होगा। 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्रधान मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विवेक पर छोड़ दिया था कि वे अपने मंत्रिमंडल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को नियुक्त न करें। हालांकि, 2015 से, लोक सभा व राज्यों की विधानसभाओं में अपराध की दर केवल बढ़ी है। 30 अगस्त, 2020 को मद्रास उच्च न्यायालय ने न केवल केंद्र सरकार से “संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने” के लिए कहा था, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया है कि “केंद्र सरकार को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए।

जो लोग ईमानदार, सक्षम और चरित्रवान पुरुष हैं उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और प्रमुख नीति निर्माता होना चाहिए। अफसोस की बात है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इस तरह की स्थिति का कोई आधार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, राजनीतिक प्रतिष्ठानों ने पूरी तरह से अवहेलना या जानबूझकर विभिन्न समितियों, नागरिकों और नागरिक समाजों द्वारा सुझाए गए सुधारों को दरकिनारा कर दिया है। यह सर्व-विदित है कि सन 1999 से कई समितियों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं।

प्रारूप C7 में, कॉलम के तहत जहां “साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है” के तहत, यह देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में प्रश्न के स्पष्ट उत्तर देने के बजाय, सफाई दी जाती है कि प्रश्न में उम्मीदवार का चयन क्यों किया गया है।

विधानसभा चुनावों 2023 के लिए BJP, INC, AAP, JD(S) और अन्य की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप C7 की सूची से स्पष्ट है, कि राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय और भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों को कितनी लापरवाही से लिया है। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का कारण बताते हुए, सभी उम्मीदवारों के लिए एक जैसे कारण दोहराए गए हैं।

II. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की घोर अवमानना

राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक इतिहास के प्रकाशन के एडीआर के विश्लेषण से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन में बड़ी कमियों का पता चलता है। कई राजनीतिक दलों, के पास आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के विवरण और कारणों को प्रकाशित करने के लिए एक कार्यात्मक वेबसाइट तक नहीं थी। दूसरी ओर, कुछ राजनीतिक दल जिनके पास एक वेबसाइट लिंक था, उन्होंने इस महत्वपूर्ण जानकारी को बनाए रखने की जहमत नहीं उठाई या उनके पास दुर्गम वेबपेज थे। कुछ और भी थे जिनके पास चुनाव की जानकारी समर्पित करने के लिए एक अलग अनुभाग था, लेकिन वे या तो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में विफल रहे या वेबसाइट पेज खराब थे। विशेष रूप से, यहां तक कि उन कुछ राजनीतिक दलों में भी जिन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रारूप C7 प्रकाशित किया था, उनमें कुछ गंभीर समस्याएं थी जो इन शपथपत्रों के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के विश्लेषण पर सामने आईं। इनमें शामिल हैं: (a) अधिकांश दलों ने दागी उम्मीदवारों को टिकट देने के निराधार और आधारहीन कारण बताएं हैं जैसे की जीतने की संभावना, व्यक्ति की लोकप्रियता, अच्छे सामाजिक कार्य करना, अपराध गंभीर प्रकृति का न होना, (b) फॉर्म के माध्यम से उल्लिखित कारणों को दुहराना, न केवल एक राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के लिए, बल्कि अन्य दलों की ओर से चुनाव लड़ने वालों के लिए भी, और (c) प्रारूप C2 का प्रकाशन (उम्मीदवारों के ऊपर लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी का विवरण) लेकिन प्रारूप C7 नहीं है (उम्मीदवारों के ऊपर लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कारण सहित)।

अन्य विसंगतियों में शपथपत्रों पर महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ना शामिल है, जैसे कि उम्मीदवार का नाम और चयन का कारण (जो प्रारूप C7 का प्राथमिक उद्देश्य है), साथ ही गलत प्रारूप में डेटा जमा करना। यह विशेष रूप से उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित मामलों की कुल संख्या और 'गंभीर आपराधिक मामलों' के तहत उनके वर्गीकरण के आलोक में चिंता का विषय है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए, किसी भी सार्वजनिक मंच पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को शामिल करने का कारण प्रदान नहीं किया गया है।

III. बाहुबल और धनबल के गठजोड़ को फटकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता

आपराधिक तत्व भारत में चुनाव के लिए उम्मीदवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में चुनावी प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हमारे समाज में राजनेताओं, नौकरशाहों और आपराधिक तत्वों के बीच सांठगांठ बढ़ती जा रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारत में सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महसूस किया जा रहा है। हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में इस तरह के एक मजबूत आपराधिक-राजनीतिक-नौकरशाही सांठगांठ का सामना भारत के चुनाव आयोग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा।

वर्तमान कानून यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और न्यायालयों द्वारा जारी किए गए बार-बार के आदेश, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के रूप में उच्च पदों पर कब्जा करने से रोक नहीं पाए हैं। हमारी न्यायिक प्रणाली के तहत दोषसिद्ध दर वर्षों से गिर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, परिक्षण के लिए लिया गया समय बहुत लंबा है। इसके अलावा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा निरंतर अनुस्मारक और चेतावनियों के बिना राजनेता फॉर्म 26 के तहत आवश्यक प्रत्येक जानकारी को पूरी लगन या ठीक से प्रस्तुत नहीं करते हैं। नतीजा यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन गए हैं।

IV. कानून, नियमों और विनियमों की अनुपस्थिति

राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन में कोई अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया नहीं है। राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। नियमों या कानूनों के उल्लंघन के मामले में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को दंडित करने का कोई तरीका नहीं है। राजनीतिक दलों ने आरटीआई कानून के दायरे में आने से साफ इनकार कर दिया है। टिकटों को जीतने योग्य कारक के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, यह देखा गया है कि बाहुबली और धनबली एक विजेता संयोजन बनाते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार आसानी से लोक सभा और राज्य विधानसभा चुनावों में अपना रास्ता बनाते हैं क्योंकि राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने में संकोच नहीं करते हैं।

V. अवमानना की कार्रवाई कैसे और कब की जाएगी?

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 के मद्देनजर और चुनाव आयोग के 6 मार्च के पत्र के अनुसार, “यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस से सम्बन्धित राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को अदालत के आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में लाएगा”। हालांकि, इन राजनीतिक दलों के खिलाफ इस तरह की कोई अवमानना कार्रवाई किए जाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, नागरिकों को यह सुनिश्चित नहीं है कि क्या चुनाव आयोग ने हाल ही में हुए चुनावों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उसके निर्देशों का पालन न करने की सूचना सर्वोच्च न्यायालय को दी है।

एडीआर द्वारा सिफारिशें

राजनीतिक में आपराधिकता की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समाधानों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इसे करने की हिम्मत और इच्छाशक्ति की। कानून बनाने वाले ऐसे कानून नहीं बनाएंगे, जो आपराधिक मामलों वाले राजनेताओं के बेपनाह और अनियंत्रित प्रविष्टि को प्रतिबंधित करें। संवैधानिक संस्थाएं और संस्थान 'सत्ता की कमी' जैसे कारणों से शरण लेती रहेंगी। दरअसल, 20 जुलाई, 2021 को राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों के प्रकाशन के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, "हमें यकीन है कि विधायी शाखा इसे न केवल अभी, लेकिन भविष्य में किसी भी समय आगे नहीं बढ़ाएगी"। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जहां सभी राजनीतिक दल हमारी चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता के अलोक में किसी भी प्रयास को रोकने के लिए हमेशा एकजुट और दृढ़ हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव में प्रमुख कर्तव्य धारकों को उनकी भूमिका के कर्तव्यों की याद दिलाना अनिवार्य हो जाता है। अपराधीकरण की मौजूदा समस्या का समाधान करने का एकमात्र तरीका न्यायपालिका, विभिन्न समितियों, नागरिक समाज और नागरिकों द्वारा प्रस्तावित प्रशंसनीय समाधानों पर तुरंत अमल करने की आवश्यकता है।

जब तक इन रुझानों में सुधार नहीं किया जाता है, तब तक हमारी वर्तमान चुनावी और राजनीतिक स्थिति और बिगड़ने के लिए बाध्य है। "राजनीति के अपराधीकरण" के कारण बाहुबली और धनबली आपराधिक तत्व चुनाव में भाग ले सकते हैं और सभी मतदाता अपने को असहाय महसूस करते हैं। इसलिए, एडीआर निम्नलिखित सिफारिशों का प्रस्ताव करता है कि हमारे सहभागी लोकतंत्र और कानून के शासन को नुकसान पहुंचाने वालों पर बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

- I. **उम्मीदवारों के चयन के लिए मापदंड:** राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए एक सख्त मापदंड होना चाहिए। 13 फरवरी, 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राजनीतिक दलों को पहले से ही उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण बताने की आवश्यकता है और साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। निर्णय के अनुसार ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए और न की उसकी चुनाव "जीतने" की क्षमता।
- II. **तय आरोपों पर अयोग्यता:** अपराधीकरण की समस्या से निपटा जा सकता है यदि ऐसे दागी उम्मीदवारों को अपराध के चरण और डिग्री दोनों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह उन उम्मीदवारों को सार्वजनिक कार्यालयों में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करके प्राप्त किया जा सकता है जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा कम से कम 5 वर्ष के कारावास के अपराधों के आरोप लगे हैं और जो मामला चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले दायर किया गया है।

- III. जघन्य अपराधों के लिए स्थायी अयोग्यता:** नागरिकों के लिए कानून बनाना और देश के लिए नीतियां बनाने वाले कानून निर्माताओं पर जघन्य अपराधों का आरोप लगना या उन्हें दोषी ठहराना निंदनीय है। हत्या, बलात्कार, तस्करी, डकैती, अपहरण, लूट आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी उम्मीदवारों को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।
- IV. चुनाव आयोग द्वारा तैयार और साझा किए जाने वाले राजनीतिक दलों की सूचि:** भारत के चुनाव आयोग से 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपने पत्र में लागू करने की उम्मीद है, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए ऐसे दागी उम्मीदवारों के नाम और चयन के कारणों को सूचीबद्ध करना होगा। इस सूचि को हर चुनाव के बाद सही रूप से तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय में जमा करने की जरूरत है और इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।
- V. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय को “न्याय और कानून के शासन” का अंतिम संरक्षक होने के नाते वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक दलों और राजनेताओं को इस तरह की अवमानना, इच्छाशक्ति की पूर्ण कमी, निंदनीय प्रवृत्ति और आवश्यक कानूनों की अनुपस्थिति के लिए फटकार लगानी चाहिए। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक दलों, उनके पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के खिलाफ 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने के लिए तुरंत कड़ी अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए।
- VI. राजनीतिक दलों को दी गई कर छूट को रद्द करना:** वे राजनीतिक दल जो जानबूझकर अयोग्य, बेईमान, भ्रष्ट, धनी और दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनारा करते हैं, उन राजनीतिक दलों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13 A और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 C (4) के तहत दी जाने वाली कर छूट को रद्द कर देना चाहिए।
- VII. राजनीतिक दलों को अमान्य करना:** सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 16 A के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 16 A आयोग को आदर्श आचार संहिता का पालन न करने या आयोग के वैध आदेशों और निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का भी अधिकार है। इसलिए, भारत के चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ अनुच्छेद 16 A के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की लगातार विफलता और अवज्ञा के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित या वापस लेना चाहिए।

- VIII. उल्लंघन के लिए पार्टियों को परिणाम भुगतने होंगे:** राजनीतिक दलों को यह महसूस करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश अनिवार्य हैं और इसलिए अनुपालन वैकल्पिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 के आदेश की खुलेआम अवहेलना करने के लिए पार्टियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अपर्याप्त प्रकटीकरण, अमान्य और सामान्य कारणों, जीत के आधार पर उम्मीदवारों का चयन, समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने आदि के लिए उन पर भारी वित्तीय दंड लगाया जाना चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित एक राजनीतिक दल के प्रभारी अधिकारी को भी इस तरह के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- IX. भारत के चुनाव आयोग द्वारा सख्त और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है:** भारत के चुनाव आयोग को भी संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दी गई अपनी व्यापक शक्तियों का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। चूंकि चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग के पास है, इसलिए बिना किसी देरी के, आयोग को प्रत्येक चुनाव के दौरान इस तरह की चूक की तुरंत सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक दलों द्वारा फॉर्म C7 और C8 में दिए गए कारणों के आलोक में ठोस कदम उठाकर समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, पार्टी की वेबसाइट आदि में कारणों का सावधानीपूर्वक प्रकाशन और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चूककर्ताओं को सख्त और निरंतर अनुस्मारक दे कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को राजनीतिक दलों द्वारा सही मायने में लागू किया जा रहा है।
- X. किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा आपराधिक मामलों पर वार्षिक सूचना दाखिल करना:** राजनीतिक दल को अपने पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, संयोजक, कोषाध्यक्ष आदि के आपराधिक मामलों की जानकारी सालाना दर्ज करनी चाहिए और इस तरह के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध कराने चाहिए, जिसमें शून्य वाले मामले भी शामिल हों।
- XI. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूर्व घोषणा:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चुनाव से कम से कम 3 महीने पहले घोषित की जानी चाहिए और उन्हें किसी विशेष पार्टी को बदलने/शामिल होने और अगले चुनाव में उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि और उसके स्रोत के बारे में विशेष कारण बताते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यह सभी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में लाई जानी चाहिए।
- XII. झूठे शपथपत्रों को तत्काल अयोग्यता का कारण बनना चाहिए:** उम्मीदवारों द्वारा शपथपत्रों में गलत जानकारी देना चुनाव आयोग द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आखिरकार, यह 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आरपीए अधिनियम, 1951 की धारा 125A उम्मीदवारों को

गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से नहीं रोक पाई है क्योंकि इसमें केवल 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है, और इसलिए अयोग्यता को आकर्षित नहीं करता है। चुनावी शपथपत्रों में गलत जानकारी, कोई जानकारी न देना, झूठी जानकारी देने वाले उम्मीदवारों को तत्काल अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

- XIII. नोटा को अधिक शक्ति:** 23 सितंबर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के नोटा के फैसले पर अगला कदम उठाना आवश्यक है। (a) यदि नोटा को किसी भी उम्मीदवार की तुलना में अधिक वोट मिलते हैं, तो किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए, और दुबारा चुनाव होने चाहिए; (b) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिलते हैं तो उन्हें दुबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- XIV. विधायकों/सांसदों के न्यायालय में लंबित मामलों की फास्ट ट्रैकिंग:** सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी लंबित मामलों को तेजी से ट्रैक किया जाना चाहिए और 10 मार्च, 2014 और 1 नवंबर, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत दी गई ऐसी बेलगाम और मनमानी शक्ति का सरकारों द्वारा शक्तिशाली राजनेताओं, मंत्रियों और अन्य अमीर और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेने को आदेश देकर दुरुपयोग तो नहीं किया जाता है।
- XV. राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया जाए:** राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, संसद को चलाते हैं और देश का शासन चलाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने से न केवल राजनीतिक दलों और पार्टी नेताओं के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी, बल्कि यह नागरिकों को लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने का भी मौका देगा। आरटीआई कानून के तहत पार्टियों को लाने से नागरिकों को न केवल आंतरिक पार्टी चुनाव, टिकट वितरण के मापदंड जैसी जानकारी, ऑडिट, समीक्षा, जांच और आकलन का अधिकार होगा, बल्कि लोगों को हमारे राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के लिए पदाधिकारियों से निश्चित और सीधा जवाब लेने की भी अनुमति देगा। इसलिए, यह उचित समय है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस वर्तमान स्थिति पर ध्यान दे और पार्टियों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाकर 3 जून, 2013 सीआईसी के आदेश को लागू करे।
- XVI. राजनीतिक दलों के मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता:** राजनीतिक दल हमारे संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक-आर्थिक गठन के अंतिम भंडार और संरक्षक हैं, लेकिन हमारे पास राजनीतिक दलों से पूरी तरह से निपटने वाला एक भी व्यापक कानून नहीं है। एक व्यापक कानून के अभाव में, नागरिक राजनीतिक वर्ग और राजनेताओं के कामकाज पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनका मूल्यांकन और ऑडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए, राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने, उनकी पार्टी के संविधान की मान्यता, पार्टी के अंगों के विभिन्न स्तरों पर चुनाव, पंजीकरण और गैर-पंजीकरण की शर्तों, खातों के

अनिवार्य रखरखाव, संगठनात्मक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की सख्त आवश्यकता है। यह प्रावधान '170वें विधि आयोग की रिपोर्ट, भाग 3, अध्याय 1' और NCRW रिपोर्ट के अध्याय 8 में अनुशंसित है।

- XVII. राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के लिए प्रावधानों का परिचय दें:** दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक होने के बावजूद, हमारे राजनीतिक दलों का कामकाज करने का तरीका बहुत अलोकतांत्रिक है। राजनीतिक दल अपने 'आचार संहिता' और स्वयं के लिए शुरू किए गए सुधार में बुरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शी निर्णय लेने, टिकट वितरण, पदाधिकारियों के चुनाव, वित्तीय पारदर्शिता और मजबूत संगठनात्मक अनुशासन को लागू करने के लिए अनिवार्य प्रावधान किए जाने चाहिए। इसमें सभी आंतरिक पार्टी पदों और उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी चुनावों के लिए गुप्त बैलेट मतदान अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा सुझाया गया है।
- XVIII. सांसदों और विधायकों की वार्षिक रिपोर्ट:** निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पिछले वर्ष की अपनी उपलब्धियों और अगले वर्ष की योजना का विवरण देते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक 'वार्षिक रिपोर्ट' प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए। यह रिपोर्ट लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा की वेबसाइट और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- XIX. फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट, "पंजीकृत मतों का 50 प्रतिशत + 1":** कानून आयोग, NCRWC, जैसी विभिन्न समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार 'किसी भी उम्मीदवार को तब तक निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल नहीं कर लेता।' जब किसी उम्मीदवार को मतदाताओं की आवश्यक संख्या नहीं मिलती है, तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच अधिकतम वोट पाने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि डाले गए वोटों का 50 प्रतिशत + 1 निर्वाचित घोषित करने के लिए एक आसान आवश्यकता है, एक अधिक कठोर आवश्यकता और उपयुक्त और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आदर्श है।




Association for Democratic Reforms and National Election Watch present

THE UPGRADED MYNETA APP



DOWNLOAD TODAY!

And be a part of our **#MeraVoteMeraDesh** Campaign





Scan the QR code to download

Visit our website:
www.adrindia.org
www.myneta.info

एडीआर को दान करें

राज्य विधानसभा चुनावों के लिए हमारे #मेरावोटमेरादेश अभियान का समर्थन करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस अभियान का उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की जानकारी के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को सशक्त बनाना है। आप निम्नलिखित क्यूआर कोड का उपयोग करके हमें दान कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के लिंक पर जा सकते हैं।



एडीआर स्पीक्स पॉडकास्ट

एडीआर स्पीक्स चुनावी और राजनीतिक सुधारों से संबंधित मुद्दों पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला है। एडीआर उम्मीदवारों के पृष्ठभूमि विवरण, राजनीतिक दलों की आय के स्रोतों, चुनावी खर्च, चुनावी बॉन्ड आदि का विश्लेषण करता है। इन एपिसोड में, एडीआर आम जनता की समझ और पहुंच के लिए अपनी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों का विश्लेषण करता है, जिससे वे एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम होते हैं। एडीआर के पॉडकास्ट में भारत की लोकतांत्रिक राजनीति से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों, शोधार्थियों, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, पूर्व चुनाव अधिकारियों आदि के साथ चर्चा की जाएगी। एडीआर वेबसाइट पर एपिसोड तक जाने के लिए कृपया आइकन दबाएं।



Listen to Our Podcast on



Other platforms





To Get Information About Candidates/Parties/MPs/MLAs/Corporators/PILs in courts



Journalist Helpline no: 8010394248

Subscribe to ADR on [WhatsApp](#)
for updates: 7840067840

Visit: www.myneta.info, www.adrindia.org

Email: adr@adrindia.org

To contact ADR State Partners, visit:
<https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators>

Social Media

 /myneta.info  /adr.new  @adrspkaks  /adrspkaks  /adrspkaks
 <https://www.linkedin.com/company/association-for-democratic-reforms/>

Our Websites

www.adrindia.org

Provides detailed analytical reports of Lok Sabha, State Assemblies, local body elections & financial reports of political parties & ongoing PILs in courts

www.myneta.info

Provides full information of criminal cases, asset, liability and education details declared by candidates in the self sworn affidavits

Android Apps

Myneta: The criminal, financial, educational & other background information self declared by candidates in their affidavits during elections is now available on your mobile phones.

Election Watch Reporter: This app provides a tool to the citizens to capture violations of election related laws & the code of conduct.

Both the applications are available on Google Play Store

Office Address

Association for Democratic Reforms
T-95, CL House, Second Floor,
Near Gulmohar Commercial Complex, Gautam Nagar,
Landmark: Green Park Metro Station (GN exit),
New Delhi-110 049,
Tel.: 011- 41654200, Fax: 011 - 46094248

सम्पर्क:

कर्नाटक इलेक्शन वॉच

प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री आई.आई.एम बैंगलोर फाउण्डर मेम्बर नेशनल इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स +91 94483 53285 tsastry@gmail.com	श्री हरिश नरसम्पा स्टेट कोर्डिनेटर harish@dakshindia.org	कात्यायिनी चामराज स्टेट कोर्डिनेटर +91-97318-17177 kchamaraj@gmail.com
--	---	---

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ए.डी.आर)/नेशनल इलेक्शन वॉच (एन.ई.डब्ल्यू)

मीडिया और पत्रकार हैल्पलाईन		+ 91 80103 94248	adr@adrindia.org
मेजर जनरल अनिल वर्मा (सेवानिवृत्त)	हेड/नेशनल कोर्डिनेटर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं नेशनल इलेक्शन वॉच	+ 91 88264 79910	anilverma@adrindia.org
प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री आई.आई.एम बैंगलोर	फाउण्डर मेम्बर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं नेशनल इलेक्शन वॉच	+ 91 94483 53285	tsastry@gmail.com
प्रोफेसर जगदीप छोकर सेवानिवृत्त आई.आई.एम अहमदाबाद,	फाउण्डर मेम्बर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं नेशनल इलेक्शन वॉच		jchhokar@gmail.com

अस्वीकृति

इस रिपोर्ट में दी गयी संपूर्ण जानकारी को राजनीतिक दलों द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए प्रारूप C7 से लिया गया है। एडीआर उम्मीदवारों की किसी भी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं करता जब तक राजनीतिक दल डेटा नहीं बदलते। एडीआर, किसी भी अन्य स्रोत या जानकारी का उपयोग नहीं किया करता। जानकारी को राजनीतिक दल की वेबसाइट के अनुसार होना सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं, इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी में अन्तर होने पर राजनीतिक दलों के द्वारा वेबसाइटों में दी गयी जानकारी को सही माना जाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस रिपोर्ट प्रकाशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे।